प्रेस विज्ञप्ति
19/02/2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई आंचलिक कार्यालय ने **मेसर्स प्रतिभा इंडस्ट्रीज लिमिटेड** के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत आरोपी अजीत कुलकर्णी और अन्य की **24.52 करोड़ रुपये** की अचल संपत्तियां अनंतिम रूप से कुर्क की हैं।

ईडी ने सीबीआई द्वारा मेसर्स प्रतिभा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अजीत कुलकर्णी और अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जो बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा बैंकों के संघ से 4957 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने की शिकायत पर आधारित थी।

ईडी की जांच से पता चला है कि निदेशकों ने वित्तीय रिकॉर्ड में हेराफेरी करके धोखाधड़ी वाले लेनदेन के माध्यम से ऋण राशि को डायवर्ट करके बैंकों को नुकसान पहुंचाने और खुद को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने के लिए आपराधिक साजिश रची। अपराध की आय (पीओसी) को लूटने के उद्देश्य से, मेसर्स प्रतिभा इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने सर्कुलर ट्रेडिंग के लिए विभिन्न आवास प्रविष्टि प्रदाताओं की सेवाएं लीं। गबन किए गए धन को अचल संपत्ति खरीदने के लिए धन को डायवर्ट करने के लिए तीसरे पक्ष के लेनदेन के माध्यम से भेजा गया था।

इससे पहले 02.01.2025 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मुंबई और दिल्ली में 14 अलग-अलग स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया गया था। तलाशी अभियान में 5.4 करोड़ रुपये के बैंक बैलेंस, म्यूचुअल फंड और अचल संपत्तियों की खरीद से संबंधित अन्य आपत्तिजनक सबूत फ्रीज किए गए।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।